गैर-गोपनीय

मामला सं.-एडी (एमटीआर)-03/2025

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय

<u>अंतिम निष्कर्ष</u>

चीन जनवादी गणराज्य ("चीन पीआर") में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित "स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप" के आयात पर अधिरोपित डंपिंग रोधी शुल्क के उत्पाद दायरे तक सीमित मध्यावधि समीक्षा

विषय-सूची

क. मामले की पृष्ठभूमि 3

ख. प्रक्रिया 4

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु 6

ग.1 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध 6

ग.2 घरेलू उद्योग और भारतीय स्टेनलेस सीमलेस पाइप विनिर्माता संघ द्वारा किए गए अनुरोध 9

ग.3 प्राधिकरण द्वारा जांच 13

घ. प्रकटन-पश्चात् टिप्पणियाँ 18

घ.1 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध 18

घ.2 घरेलू उद्योग और भारतीय स्टेनलेस सीमलेस पाइप विनिर्माता संघ द्वारा किए गए अनुरोध 20

घ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच 21

ङ. निष्कर्ष और सिफारिशें 24

ढ़. आगे की कार्रवाई 25

गैर-गोपनीय

भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित किया जाएगा।

फा.सं. 7/13/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 24.06.2026

<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

मामला सं.-एडी (एमटीआर)-03/2025

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के उत्पाद क्षेत्र तक सीमित मध्यावधि समीक्षा का अंतिम जांच परिणाम।

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (“पाटनरोधी नियमावली, 1995” अथवा “पाटनरोधी नियमावली” अथवा “नियमावली” कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. मैसर्स वेदांता लिमिटेड (जिसे इसके बाद "याचिकाकर्ता" या "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (आयातित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार यह स्पष्ट करने के लिए अधिसूचना संख्या 6/13/2021-डीजीटीआर दिनांक 23.09.2022 के द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की जांच करने तक सीमित, कि चीन जन.गण.(जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एचईएसपीएल (हंटिंग एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा पेटेंट

की गई "सील-लॉक एक्सडी" प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित प्रीमियम थ्रेडिंग वाले कास्टिंग और ट्यूबिंग (जिसे बाजार में ओसीटीजी के रूप में जाना जाता है) विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है।

2. और जबकि अधिसूचना सं. 6/13/2021 - डीजीटीआर दिनांक 23.09.2022 में 6 एनपीएस तक और उसके सहित व्यास वाले "स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप या अन्य इकाई माप में इसके तुलनीय, चाहे हॉट एक्सट्रूज़न प्रक्रिया या हॉट पियर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित हो और चाहे हॉट फिनिश या कोल्ड फिनिश पाइप और ट्यूब के रूप में बेचे जाएं, जिसमें दोषपूर्ण, गैर-प्राइम या माध्यमिक ग्रेड के रूप में आयातित संबद्ध सामान शामिल हैं" (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान " भी कहा गया है) और जो चीन जन.गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हैं और जिन पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 31/2022 - सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 20.12.2022 द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी।

3. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, उत्पाद क्षेत्र के पुन: निर्धारण/स्पष्टीकरण तक सीमित, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू करते हुए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/13/2025-डीजीटीआर दिनांक 26 जून 2025 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

4. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 26 जून, 2025 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्राधिकारी ने भारत में चीन जन.गण. के दूतावास को संबद्ध जांच शुरू करने के बारे में सूचित किया और उनसे संबद्ध निर्यातकों/उत्पादकों को इसके बारे में सूचित करने का अनुरोध किया।

ग. प्राधिकारी ने मूल जांच में घरेलू उद्योग को अगोपनीय याचिका की प्रतियां उपलब्ध कराईं।

घ. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दायर आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं के साथ और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार प्रचालित की।

ड. चूंकि याचिका विचाराधीन एक निश्चित प्रकार के उत्पाद को बाहर करने के सीमित उद्देश्य के लिए है, अत: प्राधिकारी को पाटन और क्षति के मात्रा का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जांच की अवधि का निर्धारण आवश्यक नहीं है।

च. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा किए गए दावों को सत्यापित करने के लिए आवेदक और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की यथासंभव जांच की। आवश्यक समझे जाने पर आवेदक और घरेलू उद्योग से और भी सूचना मांगी गई। जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक मानी गई सीमा तक आवेदक के आंकड़ों और दावों का सत्यापन किया गया था।

छ. जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक, घरेलू उद्योग के आंकड़ों और दावों का सत्यापन भी किया गया था।

ज. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 11 अगस्त, 2025 को आयोजित मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में जिन पक्षकारों ने अपने विचार प्रस्तुत किए उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करें।

झ. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी ने मामले के आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया जो 14 नवंबर 2025 को एक प्रकटन विवरण के रूप में अपने जांच परिणाम का आधार बनेगा और हितबद्ध पक्षकारों को 21 नवंबर 2025 तक टिप्पणी करने का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर संगत सीमा प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया और उन्हें इस जांच परिणाम में हल किया गया है।

ञ. निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण, 10 मार्च 2026 को एक नई मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी। मौखिक सुनवाई में अपने विचार विचार प्रस्तुत करने वाले वाले पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों के लिखित अनुरोध दायर करे और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करें।

ट . मौजूदा जांच के दौरान अथॉरिटी ने जांच से जुड़ी ज़रूरी जानकारियां इकट्ठा कीं और उनका विश्लेषण किया। इन जानकारियों को संबंधित पक्षों के सामने रखा गया ताकि वे इन पर अपनी राय दे सकें।

ठ. इस अंतिम जांच परिणाम में *** गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

ग.1 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

5. आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. मूल जांच में केवल हॉट एक्सट्रूज़न या पियर्सिंग द्वारा बनाए गए सीमलेस स्टेनलेस पाइप और ट्यूब शामिल थे और सीएलएक्सडी (एसएलएक्सडी) प्रक्रिया से बनाए गए ओसीटीजी पाइप शामिल नहीं थे।

ii. थ्रीडिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यह सीलिंग क्षमता और ड्रिलिंग में सामना किए जाने वाले उच्च दबाव और संक्षारण के प्रतिरोध को बढ़ाता है। इसके कारण,

संबद्ध उत्पाद को कट आकार और आयाम आदि के लिए विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार आयात किया जाता है।

iii. संबंधित उत्पाद कीमत, भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों, अंतिम प्रयोग और तकनीकी विशिष्टताओं के संदर्भ में मूल जांच द्वारा कवर किए गए उत्पादों से भिन्न हैं, और उपभोक्ता के दृष्टिकोण से ने तो तकनीकी रूप से और न ही वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

iv. जिंदल एसएडब्ल्यूपी लिमिटेड (जेएसएल) को वाणिज्यिक ऑर्डर 2022 में जांच की अवधि के बाद दिए गए थे। मूल पाटनरोधी जांच की जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध उत्पाद का कोई घरेलू निर्माता नहीं था।

v. उत्पाद क्षेत्र में ओसीटीजी को शामिल करने से, जो जांच की अवधि के दौरान घरेलू स्तर पर नहीं बनाया गया था, जिंदल सॉ लिमिटेड के लिए एकाधिकार पैदा हो जाएगा जो एकमात्र स्थानीय उत्पादक है।

vi. एसएलएक्सडी के साथ ओसीटीजी का उत्पादन करने के लिए मूल जांच की जांच की अवधि के दौरान जिंदल एसएडब्ल्यूपी लिमिटेड के पास लाइसेंस या एपीआई प्रमाणन नहीं था। चंदन स्टील और टुबासेक्स प्रकाश से प्राप्त प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि 2022 तक ओसीटीजी को घरेलू स्तर पर पेश नहीं किया गया था और यह स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप और ट्यूबों से अलग है।

vii. 2017 से 2021 के दौरान उत्पाद की कोई सिद्ध वाणिज्यिक उपलब्धता नहीं है। सील-लॉक थ्रेडिंग प्रक्रिया के लिए एकमात्र घरेलू लाइसेंस मार्च-अप्रैल 2022 में प्राप्त किया गया था, यानी मूल जांच की जांच की अवधि के बाद। इस प्रकार, उत्पाद मूल उत्पाद क्षेत्र का हिस्सा नहीं बन सकता था, यह दर्शाता है कि घरेलू उत्पादकों को जांच की अवधि के बाद लाइसेंस मिला, जो परिवर्तित परिस्थितियों को दर्शाता है।

viii. जेएसडब्ल्यू द्वारा प्रस्तुत वाणिज्यिक रिकॉर्ड केवल सूचीबद्ध मूल्य को दर्शाते हैं और 2022 से पहले की अवधि के लिए उत्पादन का प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त, जेएसडब्ल्यू द्वारा दायर उत्पादन आंकड़े स्टील ट्यूबों और पाइपों के

आवरण और ट्यूबिंग से संबंधित हैं, विशेष रूप से सील-लॉक एक्सडी प्रक्रिया का उपयोग करके प्रीमियम-थ्रेडिंग ओसीटीजी के साथ केसिंग और ट्यूबिंग से नहीं।

ix. जिंदल द्वारा प्रीमियम-थ्रेडेड उत्पादों का घरेलू उत्पादन और बिक्री 2020-21 में 100 एमटी , 2021-22 में 85 एमटी और 2022-23 में 29 एमटी थी। इसके अतिरिक्त, मूल जांच में जांच परिणाम यह बताते हैं कि पिछले वर्षों, 2017-2020 के लिए कोई आंकड़े नहीं है। इस प्रकार, क्षेत्र वाणिज्यिक रूप से नया था और मूल जांच से बाहर था। संबंधित उत्पाद वाणिज्यिक रूप से तैयार नहीं था या आयातित उत्पाद के साथ तकनीकी रूप से परस्पर परिवर्तनीय नहीं था, और ऑक्सो अल्कोहल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टैट निर्णय के अन्तर्गत, गैर-परस्पर परिवर्तनीय उत्पाद पाटित उत्पाद नहीं माने जा सके।

x. माप से संबंधित कठिनाईयों हैं और जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा संबंधित उत्पाद की केवल सीमित आपूर्ति है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में इसे शामिल करने के लिए उत्पाद की वाणिज्यिक आपूर्ति की आवश्यकता है।

xi. जिंदल सॉ लिमिटेड ने वेदांता द्वारा 2022 में जारी वैश्विक निविदा के लिए आवेदन नहीं किया है, जो आपूर्ति की बाधाओं को दर्शाता है।

xii. मूल जांच में अंतिम जांच परिणामों के पैरा 128 में संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य 2.3 लाख रु. प्रति एमटी से 2.84 लाख रु. प्रति एमटी दर्ज किया गया है, जबकि घरेलू उद्योग ने कहा है कि संबद्ध उत्पाद की कीमत 8 लाख रु. प्रति एमटी से 9 लाख रु. प्रति एमटी है। उच्च कीमत पर आयात से पता चलता है कि उत्पाद का पाटन नहीं किया गया है और उन पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

xiii. पहले घरेलू उत्पादन के बाद भी ओएनजीसी, अन्य क्रेताओं ने निष्पादन, तकनीकी और पेटेंट लाइसेंसिंग संबंधी मुद्दों के कारण संबंधित उत्पाद की खरीद के लिए छूट मांगी, यह भारत में आपूर्ति बाधाओं को उजागर करता है।

xiv. संयुक्त राज्य अमेरिका अलग से और मानक ओटीजीसी पाइपों पर शुल्क निर्धारित और लागू करता है।

xv. एसएलएक्सडी प्रक्रिया मूल रूप से ट्यूब की कार्यात्मक क्षमता को बदल देती है। मूल जांच अवधि के दौरान ओटीसीजी पाइपों का उत्पादन नहीं किया गया था।

xvi. जिंदल एसएडब्ल्यू लिमिटेड ने जांच की अवधि के बाद ओसीटीजी पाइपों के निर्माण के लिए एक संविदा हासिल की।

xvii. यह दावा कि ओएनजीसी भारतीय उत्पादकों से नियमित और लगातार खरीदार रहा है, झूठा है। जांच की अवधि से पहले और उसके दौरान ओएनजीसी और ओआईएल की खरीद के रिकॉर्ड से पता चलता है कि घरेलू स्रोतों से आवश्यक उत्पाद की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए आयात किया गया था।

xviii. यदि पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति होती है, डीजीटीआर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करता है । चूंकि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध उत्पाद का उत्पादन भारत में नहीं किया गया था, इसलिए उस पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

xix. इस क्षेत्र के अंतर्गत ओटीजी को शामिल करने से एकल घरेलू उत्पादक को एकाधिकार देना होगा, यह व्यापार उपचार उपायों का आशय नहीं है।

xx. दोनों उत्पादों के लिए एचएस वर्गीकरण अलग है। मूल जांच के अंतर्गत आने वाले संबद्ध सामानों के लिए एचएस कोड एचएस 7304 11, तेल और गैस पाइपलाइनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की पाइप है, जबकि संबंधित उत्पाद एचएस 7304 22, तेल या गैस के लिए ड्रिलिंग में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की केसिंग, टयूबिंग और ड्रिल पाइप के अंतर्गत आता है।

xxi. घरेलू उद्योग के अनुरोधों के विपरीत, उत्पाद के वाणिज्यिक आयातकों में तेल क्षेत्र के ऑपरेटर शामिल हैं जो बड़ी और विनियमित कंपनियां हैं और उनके द्वारा गलत घोषणा और शुल्क की प्रवंचना की केवल दूरस्थ संभावना है।

ग.2 घरेलू उद्योग और इंडियन स्टेनलेस सीमलेस पाइप्स मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध

6. घरेलू उद्योग और इंडियन स्टेनलेस सीमलेस पाइप्स मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. संबद्ध उत्पाद एक स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब है और इसलिए, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल है।

ii. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा थ्रेडेड और गैर-थ्रेडेड उत्पाद के बीच अंतर नहीं करती है। इसप्रकार, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र स्पष्ट है और इसमें थ्रेडेड और बिना थ्रेडेड दोनों उत्पाद शामिल हैं।

iii. मूल जांच में जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुसार विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से पता चलता है कि उत्पाद का उपयोग तरल पदार्थों और गैसों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, इस प्रकार, संबद्ध उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है।

iv. जिंदल सॉ लिमिटेड 2020-21 अर्थात मूल जांच की जांचावधि से संबद्ध उत्पाद का उत्पादन और बिक्री कर रहा है, इसके अतिरिक्त, जिंदल सॉ लिमिटेड ने 2025-26 तक लगातार संबद्ध सामानों का उत्पादन और बिक्री की है।

v. जिंदल सॉ लिमिटेड को 2019 में हंटिंग पीएलसी से सील लॉक एक्सडी थ्रेडिंग प्रक्रिया शुरू करने का लाइसेंस मिला था, जो मूल जांच की जांच की अवधि से पहले का है।

vi. संबद्ध उत्पाद का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जाता है और इसकी मालसूची नहीं रखी जाती है। इस उत्पाद का जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा उत्पादन प्राप्त आदेशों के आधार पर किया गया है।

vii. आवेदक यह दर्शाने में विफल रहा है कि संबद्ध उत्पाद की मांग घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की तुलना में विगत में अधिक थी।

viii. ओएनजीसी संबंधित उत्पाद का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और उसने लगातार भारतीय उद्योग से संबंधित उत्पाद खरीदा है। ओएनजीसी ने संबंधित उत्पाद का बिल्कुल भी आयात नहीं किया है।

ix. भारतीय उद्योग ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी बेचा है।

x. घरेलू उद्योग द्वारा जारी विवरणिका से पता चलता है कि उत्पाद भारत में पेश किया जा रहा है।

xi. घरेलू उद्योग ने संबद्ध उत्पाद आवेदक को भी पेश किया है। तथापि, आवेदक ने जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा किए गए प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया है और इसके बजाय उक्त उत्पाद को संबद्ध देश से आयात करने का विकल्प चुना है।

xii. वर्तमान अवधि में भी, जिंदल सॉ लिमिटेड के पास संबद्ध उत्पाद के लिए खरीद आदेश है।

xiii. मौखिक सुनवाई के दौरान वेदांता ने बैठक के कुछ कार्यवृत्त पर भरोसा किया था, लेकिन घरेलू उद्योग के साथ इसे साझा करने में विफल रहा था।

xiv. सील लॉक एक्सडी पाइपों के निर्माण के लिए कोई उत्पादन प्रक्रिया नहीं है और यह केवल थ्रेडिंग प्रक्रिया है। यहां तक कि ओसीटीजी पाइप भी गर्म बहिर्वेधन या गर्म छेद प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं; और इसलिए, संबद्ध उत्पाद और विचाराधीन उत्पाद की मूल उत्पादन प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है।

xv. भारतीय उद्योग द्वारा भी आवेदक द्वारा बताई गई प्रक्रिया का उपयोग करके थ्रेडिंग की जा रही है।

xvi. जबकि आवेदक ने मौखिक सुनवाई में अनुरोध किया कि थ्रेडिंग जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा चीनी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम में की जा रही है, यह गलत है। जिंदल सॉ लिमिटेड का हंटिंग पीएलसी के साथ एक संयुक्त उद्यम है जो एक अमेरिकी कंपनी है।

xvii. आवेदक के अनुरोध के विपरीत, कई ऐसे उत्पाद हैं जिनके लिए देश में केवल एक ही उत्पादक है और जिनकी डीजीटीआर ने सिफारिश की है और वित्त मंत्रालय ने पाटनरोधी शुल्क लगाया है। इसके अलावा, संबद्ध उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के ग्रेडों में से केवल एक है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के कई उत्पादक हैं।

xviii. पाटनरोधी शुल्क लगाने से एकाधिकार नहीं बनता है और भारत में आयात को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, प्रयोक्ता उचित कीमतों पर उत्पाद का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

xix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्रत्येक भारतीय उत्पादक पर विचाराधीन उत्पाद के प्रत्येक ग्रेड की आपूर्ति करने का कोई दायित्व नहीं है।

xx. आवेदक ने स्वयं दस्तावेज़ आधारित अनुरोध किए हैं जो दिखाते हैं कि ओएनजीसी द्वारा संबद्ध उत्पाद की खरीद के लिए छूट के लिए दायर अनुरोध को भारत में घरेलू क्षमता की उपलब्धता के कारण डीएमआई एंड एसपी नीति के तहत स्थायी समिति की बैठक के दौरान वापस ले लिया गया था।

xxi. आवेदक द्वारा प्रस्तुत कुछ कार्यवृत्त स्टेनलेस स्टील से नहीं बने उत्पादों के लिए हैं, लेकिन कार्बन स्टील के उत्पादों के लिए हैं।

xxii. आवेदक के अनुरोधों के विपरीत, अमेरिकी जांच प्राधिकारी के निर्णय का भारतीय पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विचाराधीन उत्पाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है और प्रत्येक जांच में अलग-अलग निर्णय लिया जाता है।

xxiii. चूंकि संबद्ध उत्पाद भारत में उपलब्ध है, इसलिए वृद्धिशील प्रक्रिया के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से इसे बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।

xxiv. वर्तमान नियम 23 के तहत एक समीक्षा है और प्राधिकारी मूल जांच के समय लिए गए निर्णय की शुद्धता की पुन: जांच नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्राधिकारी इस स्तर पर कार्यवाहक हो गये है और अपने स्वयं के अंतिम जांच परिणामों पर दोबारा विचार नहीं कर सकते हैं। चूंकि वर्तमान समीक्षा नियम 23 के तहत है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी केवल बदली हुई परिस्थितियों के आधार पर अनुरोध की जांच कर सकते हैं और क्या उत्पाद वर्तमान अवधि के दौरान भारत में उत्पादित किया जा रहा है, इसकी जांच कर सकते हैं।

xxv. नियम 23 के तहत उत्पाद क्षेत्र के स्पष्टीकरण का अनुरोध बनाए रखने योग्य नहीं है और नियम 23 के तहत स्पष्टीकरण अनुरोध के आधार पर उत्पाद ग्रेड को बाहर नहीं किया जा सकता है। नियम 23 के तहत आवेदन-पत्र दायर करके, आवेदक स्वयं स्वीकार करता है कि संबंधित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल है।

xxvi. आवेदक यह दर्शाने में विफल रहा है कि स्थायी प्रकृति की कोई बदली हुई परिस्थितियां हैं जिसके कारण संबद्ध उत्पाद को बाहर करने की आवश्यकता है।

xxvii. वेदांता द्वारा बंदरगाह पर पहले से ही शिपमेंट के लिए मंजूरी लेने के लिए वर्तमान आवेदन-पत्र दायर किया गया है। इस्पात मंत्रालय ने आयात की आवश्यकता पर सवाल उठाया है, जब ऐसा उत्पाद उपलब्ध था और घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित किया जा रहा था। प्राधिकारी इस्पात मंत्रालय से इनपुट मांग सकते हैं।

xxviii. केवल इसलिए कि संबंधित उत्पाद की कीमत अधिक है, यह पाटन के अथाव को को सिद्ध नहीं करता है।

xxix. संबंधित उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की मात्रा केवल 1.1% है।

xxx. संबंधित उत्पाद के नाम में किसी को भी हटाने से व्यापक दुरुपयोग और लागू पाटनरोधी शुल्क से बचने की संभावना है। आयातकों द्वारा उत्पाद के नाम के तहत उत्पाद का आयात किया जा सकता है।

xxxi. आवेदक के अनुरोध के विपरीत, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एचएस कोड को 4-अंकीय स्तर पर, यानी 7304 पर विचार किया था। इसलिए, संबद्ध उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा गया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी ने मूल जांच में अंतिम जांच परिणाम जारी करने के समय विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार किया।

"3. विचाराधीन उत्पाद 6 इंच तक के और उसके सहित व्यास वाले स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स हैं, चाहे वे हॉट एक्सट्रूज़न प्रक्रिया या हॉट पियर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित हों या हॉट फिनिश या कोल्ड फिनिश पाइप और ट्यूब के रूप में बेचे जाते हों, जिसमें दोषपूर्ण, गैर-प्राइम या माध्यमिक ग्रेड के रूप में आयातित संबद्ध सामान शामिल हैं।

4. स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स का उपयोग संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए और तरल पदार्थों और गैसों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग तेल और गैस से संबद्ध अनुप्रयोगों में किया

जाता है; पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरी; परमाणु ऊर्जा; परमाणु और थर्मल पावर सहित बिजली जनरेटर; और एयरोस्पेस और रक्षा अनुप्रयोगों में।

5. विचाराधीन उत्पाद को या तो हॉट एक्सट्रूज़न प्रक्रिया या हॉट पियर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित किया जा सकता है, जिसे क्रॉस रोल पियर्सर प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में दोनों प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित उत्पाद शामिल हैं।

6. विचाराधीन उत्पाद प्रशुल्क शीर्ष 7304 के तहत अध्याय 73 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

8. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की मध्यावधि समीक्षा के लिए एक आवेदन-पत्र दायर किया है और स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया है कि एचईएसपीएल द्वारा पेटेंट सील-लॉक एक्सडी प्रक्रिया का उपयोग करके विनिर्मित प्रीमियम थ्रेडिंग के साथ *"केसिंग और ट्यूबिंग (जिसे बाजार में ओसीटीजी के रूप में जाना जाता है)"* विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं है। आवेदक ने आगे दावा किया है कि इस तरह के उत्पाद का विनिर्माण भारत में घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है और उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया और अंतिम उपयोग मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद से अलग है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में सभी पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों को नोट किया है और तदनुसार निम्नलिखित की जांच की है।

9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सील लॉक एक्सडी जो हंटिंग पीएलसी द्वारा पेटेंट कराई गई एक प्रक्रिया है, विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान विचाराधीन उत्पाद पर थ्रेडिंग करने की एक प्रक्रिया है। स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप उक्त प्रक्रिया का उपयोग करके नहीं बनाए जाते हैं। सभी स्टेनलेस-स्टील ट्यूब और पाइप या तो हॉट एक्सट्रूज़न प्रक्रिया या हॉट पियर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं। इसके अलावा, यह विचाराधीन उत्पाद बनाने के लिए प्राथमिक उत्पादन प्रक्रिया है। इसके बाद, थ्रेडिंग प्रक्रिया की जाती है, जो सील लॉक एक्सडी प्रक्रिया या किसी अन्य प्रक्रिया का उपयोग करके की जा सकती है। इस प्रकार, यह अनुरोध कि संबद्ध उत्पाद स्वयं सील लॉक एक्सडी प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित किया गया है, उपयुक्त नहीं है।

10. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि मूल जांच में परिभाषित किए गए विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र थ्रेडेड और गैर-थ्रेडेड उत्पाद के बीच अंतर नहीं करता है। इसके अलावा, संबद्ध उत्पाद एक स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप है जो या तो हॉट एक्सट्रूज़न प्रक्रिया या हॉट पियर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित किया जाता है और विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा के अंतर्गत आता है। आवेदक ने इस तथ्य के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में संबद्ध उत्पाद शामिल नहीं है। आवेदक द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि इस उत्पाद को मूल जांच की जांच की अवधि में आयात किया गया था, न ही यह दर्शाया गया है कि भारतीय उद्योग द्वारा इस तरह की समान वस्तु की आपूर्ति नहीं की गई है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि मूल जांच की जांचावधि के दौरान इस प्रकार का कोई आयात नहीं था।

11. आवेदक ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग उक्त उत्पाद का भारत में निर्माण नहीं करता है और मूल जांच की जांचावधि में संबंधित उत्पाद का कोई विनिर्माण नहीं था। हालाँकि, रिकॉर्ड पर मौजूद आँकड़े दर्शाते हैं कि जिंदल सॉ लिमिटेड ने 2020-21 अर्थात मूल जांच की जांचावधि से लगातार भारत में संबद्ध उत्पाद का उत्पादन और बिक्री की है।

वर्ष	**इकाई**	**उत्पादन**	**घरेलू बिक्री**
2020-21	एमटी	***	***
2020-21	सूचीबद्ध	100	100
2021-22	एमटी	***	***
2021-22	सूचीबद्ध	85	85
2022-23	एमटी	***	***
2022-23	सूचीबद्ध	29	29
2023-24	एमटी	***	***
2023-24	सूचीबद्ध	664	664

2024-25	एमटी	***	***
2024-25	सूचीबद्ध	1043	1043

(स्रोत: घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध)

12. घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध किया है कि वह उत्पाद का उत्पादन करने के लिए आवेदक द्वारा अपेक्षित तकनीकी योग्यता और क्षमता रखता है। कंपनी के पास उसी कंपनी से थ्रेडिंग करने का लाइसेंस भी है जिसका उल्लेख आवेदक द्वारा किया गया है, और आवेदक द्वारा बताए गए समान प्रक्रिया का उपयोग करके थ्रेडिंग करती है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि थ्रेडिंग प्राथमिक उत्पादन प्रक्रिया नहीं है और पाइपों के उत्पादन के बाद केवल एक वृद्धिशील उत्पादन प्रक्रिया है।

13. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि भारत में उत्पाद की आपूर्ति की कमी है और जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा केवल सीमित मात्रा में आपूर्ति की जा रही है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध उत्पाद का निर्माण ऑर्डर के आधार पर किया जाता है और इसे मालसूची के रूप में निर्मित और भंडारित नहीं किया जाता है।

14. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उत्पाद के दो अन्य उपभोक्ता हैं, अर्थात् ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)। ओएनजीसी भारत में संबद्ध उत्पाद की सबसे बड़ी खरीदार है, और केवल एक उपभोक्ता, अर्थात वेदांता ने वर्तमान आवेदन-पत्र दायर किया है।

15. आवेदक ने अनुरोध किया है कि संबंधित उत्पाद के लिए अंतिम आवेदन-पत्र मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद से अलग है क्योंकि इसका उपयोग तेल और गैस उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच की जांच की शुरुआत अधिसूचना के पैरा 4 में उल्लेख किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का उपयोग संरचनात्मक उद्देश्यों के साथ-साथ तेल और गैस से संबंधित अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इस प्रकार, मूल जांच के समय विचाराधीन उत्पाद के लिए विचार किए गए आवेदनों और संबंधित उत्पाद के लिए आवेदक द्वारा सूचीबद्ध अनुप्रयोगों के बीच कोई अंतर नहीं है।

"4. स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए और तरल पदार्थों और गैसों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग तेल और गैसों से संबंधित अनुप्रयोगों में किया जाता है; पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरी; परमाणु ऊर्जा; परमाणु और थर्मल पावर सहित बिजली जनरेटर; और एयरोस्पेस और रक्षा अनुप्रयोगों में।"

16. इस अनुरोध के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में संबंधित उत्पाद को शामिल करने से भारत में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि भारत में संबंधित उत्पाद का केवल एक ही उत्पादक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से एकाधिकार की स्थिति नहीं आती है क्योंकि यह भारत में आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है। पाटनरोधी शुल्क केवल यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद को उचित कीमतों पर भारत में आयात किया जा रहा है। इसके अलावा, संबंधित उत्पाद केवल विचाराधीन उत्पाद का एक ग्रेड है और भारत में विचाराधीन उत्पाद के कई उत्पादक हैं। किसी भी दशा में, यदि जिंदल सॉ लिमिटेड एकाधिकारवादी परिपाटियों में लिप्त रहता है, तो आवेदक संगत कानूनों और नियमों के तहत उचित अधिकारियों तक जा सकता है।

17. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि ओएनजीसी और उत्पाद के अन्य खरीदारों ने भारत में आपूर्ति की कमी के कारण उत्पाद की खरीद के लिए छूट मांगी थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से पता चलता है कि डीएमआई एंड एसपी नीति के तहत स्थायी समिति की बैठक के दौरान ओएनजीसी द्वारा इस तरह के अनुरोध को वापस ले लिया गया था। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि ओएनजीसी ने वास्तव में जिंदल सॉ लिमिटेड से संबंधित उत्पाद खरीदा है।

18. वेदांता द्वारा प्रस्तुत 15 अप्रैल 2024 की डीएमआई एंड एसपी नीति के तहत स्थायी समिति की बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि चर्चा 11-3/4" ओडी साइज, एन-80, 60 पीपीएफ फ्लश ज्वाइंट; एचपीएचटी अनुप्रयोग के लिए 7" पी-110, 35 पीपीएफ; और एचपीएचटी अनुप्रयोग के लिए 7" ओडी साइज क्यू 125 35 पीपीएफ के संबंध में आयोजित की गई थी। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ऐसे उत्पाद स्टेनलेस-स्टील ट्यूब और पाइप नहीं हैं, बल्कि कार्बन स्टील से बने ट्यूब और पाइप हैं।

19. जहां तक इस तथ्य का संबंध है कि संबंधित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद की तुलना में अधिक कीमत वाला उत्पाद है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के कई ग्रेड हैं जिनमें अलग-अलग लागत और कीमत शामिल हैं। प्राधिकारी ने मूल जांच में इस उद्देश्य के लिए एक पीसीएन पद्धति तैयार की थी। केवल इसलिए क्योंकि एक उत्पाद ग्रेड भारत में आयातों की औसत कीमत से अधिक कीमत वाला है, का अर्थ यह नहीं है कि उसका भारत में पाटन नहीं किया जा रहा है।

20. आवेदक ने अनुरोध किया है कि उत्पाद के लिए 6-अंकीय स्तर पर संबंधित उत्पाद का एचएस कोड 6-अंकीय स्तर पर विचाराधीन उत्पाद के एचएस कोड से अलग है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद विभिन्न एचएस कोड के तहत आयात किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए, पाटनरोधी शुल्क 4-अंकों के स्तर पर लगाया गया है। संबंधित उत्पाद के लिए एचएस कोड एचएस कोड के साथ कवर किया गया है जिसमें पाटनरोधी शुल्क शामिल है।

21. घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोधों के साथ लाइसेंस भी संलग्न किए हैं, जो दर्शाते हैं कि जांच की अवधि के दौरान लाइसेंस उनके पास था। वेदांता लिमिटेड द्वारा आयात किए जा रहे उत्पाद के समान उत्पाद का निर्माण और आपूर्ति भारत में जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा थ्रेडिंग प्रक्रिया के लिए हंटिंग पीएलसी से लाइसेंस प्राप्त करके की जा रही है। इस लाइसेंस की एक प्रति भी जमा कर दी गई है। ऐसे मामले में, जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान हैं।

22. उपरोक्त जांच और रिकॉर्ड में रखे गए साक्ष्य के आलोक में, प्राधिकारी का मानना है कि मूल जांच में निर्धारित किए गए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है और संबद्ध उत्पाद को विचारधीन उत्पाद की परिभाषा के भीतर शामिल किया गया है।

घ. प्रकटन-पश्चात् टिप्पणियाँ

घ.1 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

23. आवेदक ने मूल जाँच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे, संबंधित उत्पाद के अंतिम उपयोग, विनिर्माण प्रक्रिया, संबंधित उत्पाद के उच्चतर लैंडेड मूल्य, मूल जाँच अवधि के दौरान

संबंधित उत्पाद के विनिर्माण के अभाव, संबंधित उत्पाद के विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकी एवं लाइसेंस के अभाव तथा एचएस कोड में अंतर के संबंध में अपनी प्रस्तुतियों को दोहराया है। इसके अतिरिक्त, अन्य आवेदक ने प्रकटन कथन जारी होने के पश्चात् निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. सील लॉक एक्सडी संबंधित उत्पाद के विनिर्माण हेतु एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि थ्रेडिंग विचाराधीन उत्पाद के सीलिंग निष्पादन को बढ़ाती है, जिससे वह ड्रिलिंग प्रचालनों में उच्च दाब सहन करने में सक्षम हो जाता है।

ii. संबंधित उत्पाद को सामान्य स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता तथा संपूर्ण तेल एवं गैस उद्योग निष्कर्षण के लिए संबंधित उत्पाद पर निर्भर है।

iii. जहाँ विचाराधीन उत्पाद का उपयोग तेल एवं गैस के परिवहन के लिए किया जाता है, वहीं संबंधित उत्पाद का उपयोग उनके निष्कर्षण के लिए किया जाता है। अतः संबंधित उत्पाद के उपयोग में अंतर है।

iv. थ्रेडिंग प्रक्रिया, जो अंतिम उत्पाद की पहचान एवं विशेषताओं को बदल देती है, के कारण संबंधित उत्पाद तकनीकी रूप से विचाराधीन उत्पाद द्वारा प्रतिस्थापनीय नहीं है।

v. संबंधित उत्पाद के लिए विनिर्माण सुविधा जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा सितंबर 2023 के पश्चात् आरंभ की गई थी।

vi. अमेरिकी प्राधिकरण ने विचाराधीन उत्पाद और संबंधित उत्पाद के आयात पर पृथक्-पृथक् डंपिंग रोधी शुल्क अधिरोपित किया था।

vii. मूल जाँच की जाँच अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की नगण्य मात्रा भारत में आयात की गई थी और ऐसी मात्राओं को घरेलू उद्योग को कोई क्षति पहुँचाने वाला नहीं माना जा सकता।

viii. प्राधिकरण का यह अवलोकन कि उक्त उत्पाद मूल जाँच की जाँच अवधि के दौरान आयात नहीं किया गया था, यह दर्शाता है कि ऐसे उत्पाद प्रकार द्वारा घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुँचाई जा सकती।

ix. जिंदल सॉ लिमिटेड ने आवेदक द्वारा 2022 में जारी वैश्विक निविदा में भाग नहीं लिया क्योंकि उसके पास इसके विनिर्माण की क्षमता नहीं थी।

x. सितंबर 2023 से पूर्व उक्त उत्पाद की आपूर्ति के संबंध में जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत सूचना तथ्यात्मक रूप से गलत है और संबंधित उत्पाद से संबद्ध नहीं है।

xi. प्रकटन कथन में दिया गया आँकड़ा सूचकांकित है और इससे जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा उत्पादित एवं आपूर्ति की गई मात्राओं तथा यह कि ऐसी मात्राएँ सील लॉक एक्सडी थ्रेडिंग से संबंधित हैं अथवा सामान्य रूप से केसिंग एवं ट्यूबिंग से, का कोई बोध नहीं होता। प्रवृत्ति जाँच अवधि के पश्चात् उत्पादन एवं बिक्री में गिरावट दर्शाती है।

xii. प्राधिकरण ने 2017-19 के दौरान संबंधित उत्पाद के उत्पादन एवं बिक्री का विश्लेषण नहीं किया है, जो वास्तविक क्षति अवधि है।

xiii. प्राधिकरण ने मूल डंपिंग रोधी जाँच के दौरान घरेलू उद्योग को हुई क्षति और संबंधित उत्पाद के आयात के बीच कोई कारण संबंध स्थापित नहीं किया। तदनुसार, संबंधित उत्पाद पर कोई शुल्क अधिरोपित नहीं किया जा सकता।

xiv. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित न किए जाने वाले उत्पाद को घरेलू उद्योग के दायरे से अपवर्जित करना प्राधिकरण की सुसंगत प्रथा है।

xv. प्राधिकरण पूर्ववर्ती जाँचों की भाँति संबंधित उत्पाद के आयात के लिए वास्तविक उपयोगकर्ता आधारित छूट प्रदान कर सकता है।

xvi. वर्तमान मामला लो ऐश मेटलर्जिकल कोक के आयात से संबंधित डंपिंग रोधी जाँच के समान है, जिसमें प्राधिकरण ने वास्तविक उपयोगकर्ता शर्तों पर उत्पाद प्रकार के आयात के लिए छूट प्रदान की थी।

घ.2 घरेलू उद्योग और भारतीय स्टेनलेस सीमलेस पाइप विनिर्माता संघ द्वारा किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्योग और भारतीय स्टेनलेस सीमलेस पाइप विनिर्माता संघ ने प्रकटन कथन जारी होने के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. यह डंपिंग रोधी शुल्क के अधिरोपण का मामला नहीं है। डंपिंग रोधी शुल्क पहले से ही प्रवृत्त है और आवेदक जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा सृजित किसी एकाधिकार को प्रदर्शित करने में असमर्थ रहा है।

ii. भारतीय उद्योग के पास थ्रेडिंग हेतु हंटिंग पीएलसी से लाइसेंस है और उसने घरेलू बाजार में समरूप उत्पाद का उत्पादन एवं आपूर्ति की है।

iii. हंटिंग पीएलसी द्वारा पेटेंटकृत सील लॉक एक्सडी प्रक्रिया से की गई थ्रेडिंग वाले उत्पाद के उपयोग की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। थ्रेडिंग प्रक्रिया प्रदान करने

वाले अनेक भिन्न ब्रांड हैं और ऐसी थ्रेडिंग वाले उत्पाद का उपयोग भी आवेदक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

iv. ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान आवेदन वेदांता द्वारा मुख्यतः बंदरगाह पर वर्तमान में रोके गए संबंधित उत्पाद की एक खेप की निकासी प्राप्त करने के लिए दायर किया गया है, क्योंकि इस्पात मंत्रालय ने ऐसे आयातों पर प्रश्न उठाए हैं।

v. संबंधित उत्पाद पर डंपिंग रोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है, जो यह दर्शाता है कि आवेदन केवल एक सीमा शुल्क संबंधी मुद्दे के कारण दायर किया गया है।

vi. संबंधित उत्पाद के नाम पर कोई भी अपवर्जन प्रवृत्त डंपिंग रोधी शुल्क के व्यापक अपवंचन की ओर ले जाने की संभावना रखता है।

घ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

25. प्राधिकरण ने आवेदक और घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रकटन-पश्चात् प्रस्तुतियों का परीक्षण किया है और नोट करता है कि अनेक प्रस्तुतियाँ पुनरावृत्तियाँ हैं जिनका पहले ही समुचित रूप से परीक्षण किया जा चुका है और अंतिम निष्कर्षों के संबंधित पैराग्राफों में पर्याप्त रूप से समाधान किया जा चुका है। आवेदक और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन-पश्चात् टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में उठाए गए मुद्दे जो प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक माने गए हैं, का परीक्षण नीचे किया गया है।

26. इस प्रस्तुति के संबंध में कि सील लॉक एक्सडी संबंधित उत्पाद के विनिर्माण हेतु एक आवश्यक प्रक्रिया है, प्राधिकरण पहले ही नोट कर चुका है कि उत्पाद हॉट पियर्सिंग अथवा हॉट एक्सट्रूज़न प्रक्रिया का उपयोग करके विनिर्मित किया जाता है। थ्रेडिंग प्रक्रिया केवल एक वर्धी (इंक्रिमेंटल) प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, भारतीय उद्योग के पास लाइसेंस हैं और वह घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद (सील लॉक एक्सडी थ्रेडिंग सहित) की निरंतर आपूर्ति करता रहा है। अतः भारतीय उद्योग द्वारा घरेलू बाजार में समरूप वस्तु की आपूर्ति की जा रही है।

27. इस प्रस्तुति के संबंध में कि थ्रेडिंग प्रक्रिया उत्पाद की पहचान के साथ-साथ उपयोग को भी बदल देती है, प्राधिकरण नोट करता है कि चूँकि उक्त उत्पाद का उत्पादन एवं आपूर्ति भारतीय उद्योग द्वारा की जा रही है और वही मूल जाँच में परिभाषित विचाराधीन

उत्पाद की परिभाषा के अंतर्गत आता है, अतः वर्धी प्रक्रिया के आधार पर उपयोग में परिवर्तन विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन को न्यायोचित नहीं ठहराता।

28. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि संबंधित उत्पाद के लिए विनिर्माण सुविधा जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा सितंबर 2023 में, अर्थात् मूल जाँच की जाँच अवधि के पश्चात्, आरंभ की गई थी। प्राधिकरण नोट करता है कि जिंदल सॉ लिमिटेड के पास मूल जाँच की जाँच अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद के विनिर्माण हेतु हंटिंग पीएलसी से लाइसेंस था। जिंदल सॉ लिमिटेड ने मूल जाँच की जाँच अवधि के दौरान भी संबंधित उत्पाद का विनिर्माण एवं आपूर्ति की थी।

29. इन प्रस्तुतियों के संबंध में कि मूल जाँच की जाँच अवधि में संबंधित उत्पाद के नगण्य / शून्य आयात यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुँचाई गई, प्राधिकरण नोट करता है कि संबंधित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद का मात्र एक ग्रेड है। क्षति का परीक्षण विचाराधीन उत्पाद के आयात के आधार पर किया जाता है, न कि विचाराधीन उत्पाद के ग्रेडों के आधार पर। प्राधिकरण ने मूल डंपिंग रोधी जाँच में विस्तृत पीसीएन-वार परीक्षण किया था और यह माना था कि विषय आयातों की डंपिंग ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाई है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क की सिफारिश की गई और अधिरोपित किया गया। डंपिंग रोधी जाँच में क्षति एवं कारण संबंध का पृथक् ग्रेड-वार विश्लेषण नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, यह प्राधिकरण की सुसंगत प्रथा है कि भारत में आयात न किए गए उत्पाद प्रकार को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जित नहीं किया जा सकता।

30. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि जारी किए गए प्रकटन कथन में दिया गया आँकड़ा सूचकांकित है। प्राधिकरण नोट करता है कि ऐसा आँकड़ा घरेलू उद्योग की व्यावसायिक स्वामित्वाधीन सूचना है और इसके प्रकटन से घरेलू उत्पादक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तदनुसार, आँकड़ा सूचकांकित आधार पर साझा किया गया है।

31. इस प्रस्तुति के संबंध में कि प्राधिकरण ने 2017-2019 के दौरान, जो मूल जाँच की क्षति अवधि थी, संबंधित उत्पाद के उत्पादन एवं बिक्री का परीक्षण नहीं किया, प्राधिकरण नोट

करता है कि इस अवधि के दौरान ऐसे उत्पाद के आयात का कोई साक्ष्य नहीं है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा समरूप वस्तु के उत्पादन का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी भी स्थिति में, एक बार जब प्राधिकरण ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग ने वर्तमान अवधि एवं मूल जाँच अवधि में समरूप वस्तु का उत्पादन किया है, तो यह प्रासंगिक नहीं है कि उद्योग अन्य अवधियों में उत्पादन कर रहा था या नहीं। जाँच के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि उत्पाद मूल जाँच के उत्पाद दायरे में सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त, वर्तमान अवधि में विद्यमान तथ्यों के आधार पर उत्पाद के अपवर्जन का कोई औचित्य नहीं है।

32. आवेदक ने संबंधित उत्पाद के लिए वास्तविक उपयोगकर्ता आधारित छूट का अनुरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामला लो ऐश मेटलर्जिकल कोक के आयात से संबंधित डंपिंग रोधी जाँच के समान है। प्राधिकरण नोट करता है कि लो ऐश मेटलर्जिकल कोक के आयात से संबंधित डंपिंग रोधी जाँच में घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया था कि वह वाणिज्यिक कारणों से फेरोअलॉय उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक उत्पाद प्रकार का विनिर्माण नहीं करता और तदनुसार उसके अपवर्जन के लिए सहमत हुआ था। तथापि, वर्तमान जाँच में, घरेलू उद्योग ने भारतीय बाजार में संबंधित उत्पाद का विनिर्माण एवं आपूर्ति की है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने स्वयं स्वीकार किया है कि जिंदल सॉ लिमिटेड के पास संबंधित उत्पाद के विनिर्माण हेतु उत्पादन सुविधाएँ हैं और हंटिंग पीएलसी के साथ एक संयुक्त उद्यम है। ऐसी स्थिति में, वर्तमान जाँच में वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के आधार पर अपवर्जन न्यायोचित नहीं है।

33. इस प्रस्तुति के संबंध में कि संबंधित उत्पाद का अपवर्जन प्रवृत्त डंपिंग रोधी शुल्क के अपवंचन की ओर ले जाएगा, प्राधिकरण नोट करता है कि चूँकि संबंधित उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जित नहीं किया गया है, अतः शुल्कों के अपवंचन के संबंध में कोई चिंता नहीं हो सकती।

ङ. निष्कर्ष और सिफारिशें

34. समस्त आवेदक और घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियों और उनमें उठाए गए मुद्दों का परीक्षण करने के पश्चात्; तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकरण निष्कर्ष निकालता है कि:

i. मूल जाँच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद का दायरा थ्रेडेड और बिना थ्रेड वाले उत्पाद के बीच भेद नहीं करता।

ii. संबंधित उत्पाद हॉट पियर्सिंग अथवा हॉट एक्सट्रूज़न प्रक्रिया का उपयोग करके विनिर्मित किया जाता है, और अतः वही विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सम्मिलित है।

iii. घरेलू उद्योग ने मूल जाँच की जाँच अवधि के साथ-साथ वर्तमान अवधि में भी घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद का उत्पादन एवं बिक्री की है।

iv. घरेलू उत्पादक के पास थ्रेडिंग हेतु हंटिंग पीएलसी से लाइसेंस है और उसने भारत में आयातित वस्तु के समरूप वस्तु का उत्पादन किया है।

v. मूल जाँच के समय विचाराधीन उत्पाद के लिए विचार किए गए अनुप्रयोगों और आवेदक द्वारा संबंधित उत्पाद के लिए सूचीबद्ध अनुप्रयोगों के बीच कोई अंतर नहीं है।

vi. संबंधित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद का मात्र एक उत्पाद प्रकार है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के अनेक उत्पादक हैं।

vii. मात्र इसलिए कि एक उत्पाद ग्रेड का मूल्य भारत में आयातों के औसत मूल्य से अधिक है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वही भारत में डंप नहीं किया जा रहा है।

viii. संबंधित उत्पाद से संबंधित एचएस कोड पहले से ही उन एचएस कोडों में सम्मिलित है जिन पर डंपिंग रोधी शुल्क अधिरोपित किया गया है।

ix. मूल जाँच में विचार किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है और संबंधित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत आच्छादित है।

ढ़. आगे की कार्रवाई

35. इस अंतिम जाँच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण/समीक्षा के विरूद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार
(निर्दिष्ट प्राधिकारी)

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 24-06-2026
18:58:27